



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

57-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 29, 2020 (VAISAKHA 9, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अप्रैल, 2020

संख्या 41/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जिन्होंने कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम (2) का अनुपालन किया है, यदि वह कोई विदेशी कंपनी है, जो एक एयरलाइन कंपनी है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्तियों को, उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी आर-9ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु भारतीय कारबार संचालनों के सम्बंध में प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्याक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों की किसी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और भूगतानों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रस्तुत कर दिया गया हो।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th April, 2020

No. 41/GST-2.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under Sub-section (1) of Section 381 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) and who have complied with the sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C to the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 under Sub-section (2) of Section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules:

Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations, duly authenticated by a practicing chartered accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing chartered accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.